फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा (जिला दौसा)

किशोरी लाल वगै. बनाम प्रेम वगै.
किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर : 56 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.03.2026	पत्रावली पेश हुयी। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण में वास्ते आदेश आज की तिथि नियत है। प्रार्थीगण द्वारा इस प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम भांकरी तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 56 व 57 के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/3, 2 लगायत 4 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया गया कि अप्रार्थी अपनी आवंटित भूमि पर आवंटन के समय से ही काबिज हैं। सैटलमेन्ट कर्मचारी द्वारा भूमि कम किया जाना असत्य है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपनी अपनी भूमि पर वास्तविक रूप से काबिज हैं ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का कोई कॉज ऑफ एक्शन पैदा ही नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार हैं :– **प्रथम दृष्टया मामला** : प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिये ग्राम भांकरी तहसील दौसा के खसरा नम्बर 56 व 57 के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि ग्राम भांकरी तहसील दौसा के खसरा नम्बर 56 व 57 का वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड पत्रावली में संलग्न नहीं है। प्रार्थी द्वारा पत्रावली में उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजात यथा जमाबन्दी ग्राम भांकरोटा की होना पायी जाती है, जबकि प्रार्थीगण द्वारा वांछित अनुतोष ग्राम भांकरी से संबंधित है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है। **सुविधा का सन्तुलन** : प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिये ग्राम भांकरी तहसील दौसा के खसरा नम्बर 56 व 57 के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम भांकरी	सहायक कलक्टर दौसा, जिला दौसा

तहसील दौसा के खसरा नम्बर 56 व 57 का वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया है। अतः सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

अपूर्णीय क्षति : प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होने के फलस्वरूप अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

निष्कर्षतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होने के फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा वांछित अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल दावा पत्रावली के हमफीता रहे।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा